No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 07.12.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of September, 2020 is enclosed for information.

(Prashant Rastogi)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF SEPTEMBER, 2020

1. Notifications:-

(i) The Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 have been amended vide notification dated 07.09.2020 to provide an amount of twenty five lakh rupees or more received by a start up company, by way of a convertible note (convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding ten years [earlier five years] from the date of issue). In a single tranche, from a person shall not be treated a deposit. Similarly, for the words "five years", the words, "ten years" has been substituted in rule 3, in sub-rule (3), in the second proviso, in clause (i). Accordingly, now the maximum limit in respect of deposits to be accepted from members shall not apply to a private company which is a start up, for ten years (earlier five years) from the date of its incorporation. (Notification no. G.S.R. 548(E)).

(ii) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 have been amended vide notification dated 28.09.2020, to extend the period within which existing Independent directors may apply online for inclusion of their names in the databank for Independent Directors by another three months (i.e. upto 31st December, 2020]. [G.S.R 589 (E)]

(iii) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules 2014, have been amended, vide notification dated 28.09.2020, to allow companies additional period of three months i.e. upto 31/12/2020, to conduct Board Meetings through Video Conference (VC) or other audio visual means for passing resolutions in respect of matters which were earlier required to be passed in meetings with physical presence of directors. [G.S.R 590 (E)]

2. CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular no. 29/2020 dated 10.09.2020, the Ministry has clarified that if cost audit report for the financial year 2019-20 by the cost auditor to the Board of Directors of the companies is submitted by 30th November, 2020 then the same would not be viewed as violation of rule 6(5) of Companies (cost records and audit) Rules, 2014.

Consequently, the cost audit report for the financial year ended on 31st March, 2020 shall be filed in e-form CRA-4 within 30 days from the date of receipt of the copy of the cost audit report by the company. However, in case a company has availed extension of time for holding Annual General Meeting then e-form CRA-4 may be filed within the timeline provided under the proviso to rule 6(6) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014.

(ii) Through the General Circular no. 30/2020 dated 28.09.2020 and in continuation of General Circular no.12/2020 dated 30.03.2020 & in view of the large scale disruption caused by the COVID-19 Pandemic and after due examination, the Ministry has decided to extend Companies Fresh Start Scheme, 2020 till 31st December, 2020. All other requirements provided in the circular dated 30.03.2020 shall remain unchanged.

(iii) Through the General Circular no. 31/2020 dated 28.09.2020 and in continuation of General Circular no.13/2020 dated 30.03.2020 & in view of the large scale disruption caused by the COVID-19 Pandemic and after due examination, the Ministry has decided to extend LLP Settlement Scheme, 2020 till 31st December, 2020. All other requirements provided in the circular dated 30.03.2020 shall remain unchanged.

(iv) Through the General Circular no. 32/2020 dated 28.09.2020 and in continuation of General Circular no.23/2020 dated 17.06.2020 & after due examination, the Ministry has decided to extend the "Scheme for relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013" till 31st December, 2020. Accordingly, the figures "30.09.2020" and "01.10.2020" wherever they appear in the General Circular has been substituted with figures "31.12.2020" and "01.01.2021" respectively. The other requirements provided in the circular dated 17.06.2020 shall remain unchanged.

(v) Through the General Circular no. 33/2020 dated 28.09.2020 and in continuation of General Circular no.14/2020 dated 08.04.2020, No.17/2020 dated 13.04.2020 and No.22/2020 dated 15.06.2020 and after due examination, the Ministry has decided to allow companies to conduct their EGMs through VC or OAVM or transact items through postal

ballot in accordance with the framework provided in the aforesaid Circulars upto 31.12.2020. The other requirements provided in the Circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020 and 15.06.2020 shall remain unchanged.

(vi) Through the General Circular no. 34/2020 dated 29.09.2020 and in continuation of General Circulars no.11/2020 dated 24.03.2020 and 24/2020 dated 19.06.2020 & in view of requests received from various stakeholders seeking extension of time on account of large scale disruption caused by the COVID-19 Pandemic, the Ministry has decided to extend the time in respect of matters reffered to in paras V, VI (regarding creation of deposit repayment reserve of 20% under section 73(2)(c) of the Companies Act, 2013 and to invest or deposit 15% of amount of debentures under rule 18 of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014) of the circular dated 24.06.2020, from 30.09.2020 to 31.12.2020. The other requirements provided in the Circulars dated 24.03.2020 and 19.06.2020 shall remain unchanged.

3. AMENDMENT IN THE COMPANIES ACT, 2013:-

Approval of the Cabinet had been accorded for amendments in the Companies Act, 2013 (CA-13) through Companies (Amendment) Bill, 2020 on 4th March, 2020. The said Bill was introduced in the Lok Sabha on 17th March, 2020. The Bill came up for discussion on 23rd March, 2020 but could not be considered and the House got adjourned sine die.

Thereafter in the last Session of Parliament, the said Bill has been passed by Lok Sabha on 19th September, 2020 and Rajya Sabha on 22nd September, 2020. It has received the assent of Honourable President on 28.09.2020 and has been published in the Gazette on the same date. The Amendment Act is available on the website of M/o Corporate Affairs.

4. ORDERS:-

Through an Order issued on 17th September, 2020, the tenure of the Company Law Committee (set up on 18th September, 2019) has been extended till 17th September, 2021.

This Committee has been set up to make recommendations to the Ministry on matters relating to decriminalisation of offences, introduction of settlement mechanisms, measures for ease of doing business, remove bottlenecks in the functioning of bodies set up under Companies Act, 2013/LLP Act, 2008 etc.

5. During the month, the Competition Commission of India(CCI) received eight (08) new Anti-trust cases (Anti competitive agreements and abuse of dominant position) and ten (10) fresh combination notices including one (01) through Green channel. Furthermore, CCI decided a total of two (02) Anti-trust cases and approved eleven (11) combination cases in September, 2020.

6. The CCI approved the combination relating to acquisition of sole control of Nutrition & Biosciences business of DuPont de Nemours by International Flavors & Fragrances Inc. The proposed combination being a global transaction, the Commission cooperated with the Federal Antimonopoly Service of Russia on their request based on a Memorandum of Understanding on antitrust cooperation signed by two Countries in 2011.

7. The CCI in association with M/s Public Health Foundation of India (PHFI) initiated a 'Market Study on Pharmaceutical Sector in India'. The study is a fact-finding exercise with the objectives of (a) studying the evolving competitive landscape in the pharmaceutical distribution market in the country (b) understanding the extent of proliferation of branded generic drugs in Indian market and its implications for competition (c) identifying impediments to the entry of bio-equivalent drugs in India (d) ascertaining relevant enforcement and advocacy priorities for CCI (e) identifying areas of cooperation by CCI with relevant sector regulators.

8. (i) Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020 has been replaced by the Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Act, 2020 and notified on 23rd September, 2020 with effect from 5th June, 2020 thereby providing insertion of Section 10A in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (Code) to temporarily suspend initiation of corporate insolvency resolution process (CIRP) under Sections 7,9, and 10 of the Code for a period of six months or such further period, not exceeding one year, from 25th March, 2020. The benefit of the proposed suspension will be available to all those defaults of the corporate debtor that occur from 25.03.2020 and till the end of the period of

suspension. Further, such defaults arising between the 25th March, 2020 and till the completion of the suspension period will remain as non-est for the purpose of initiation of CIRP under the Code as a permanent carve-out. Section 66 of the Code is also amended to disallow the resolution professional from filing application of action against the directors or partners of the corporate debtor with respect of such default.

ii) A notification vide S.O. No. 3265 dated 24.9.2020 has been notified to extend temporary suspension u/s 10A of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) by 3 months i.e. up to 24.12.2020.

iii) The Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) (Amendment) Rules, 2020 has been notified vide GSR No. 583 (E) on 24.9.2020 to further amend the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority Rules, 2016)

सं.सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 07 .12.2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सितंबर, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(प्रशांत रस्तोगी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4. निदेशक (एनआईसी)- कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

माह सितंबर, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

(1) अधिसूचनाएं:-

(i) परिवर्तनीय टिप्पण (निर्गमन की तारीख से दस वर्ष की अवधि [पूर्व में पांच वर्ष] के भीतर अदायगी योग्य अथवा परिवर्तनीय) के जरिए स्टार्टअप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख अथवा इससे अधिक राशि उपलब्ध कराने के लिए कंपनी (जमा राशि की स्वीकार्यता) नियम, 2014 को दिनांक 07.09.2020 की अधिसूचना के द्वारा संशोधित कर दिया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा शेयर के रूप में जमा एकल राशि को जमा राशि नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार, खंड(i) के दूसरे परंतुक में नियम 3, उप-नियम(3) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्दों को अतःस्थापित किया गया है। तदनुसार, सदस्यो की ओर से स्वीकार की जाने वाली अधिकतम सीमा उस निजी कंपनी पर लागू नहीं होगी जो अपने निगमन की तारीख से दस वर्षों के लिए (पूर्व में पांच वर्ष) स्टार्टअप कंपनी हैं (अधिसूचना संख्या सा.का.नि.548(अ))।

(ii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 को 28.09.2020 की अधिसूचना के जरिए संशोधित किया गया है ताकि संबंधित अवधि को इतना बढ़ाया जा सके जिसके भीतर मौजूदा स्वतंत्र निदेशक अगले तीन महीनों तक (31 दिसंबर, 2020 तक) स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित डाटा बैंक में अपने नामों के समावेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सके। [सा.का.नि. 589(अ)]

(iii) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014, को 28.09.2020 की अधिसूचना के जरिए संशोधित किया गया है ताकि उन मामलों के बारे में जिन्हें पूर्व में निदेशकों की वास्तविक मौजूदगी के साथ बैठको में पारित कराए जाने की आवश्यकता थी, संकल्प पारित कराए जाने के निमित वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य श्रव्य साधनों के जरिए बोर्ड की बैठक कराए जाने के प्रयोजनार्थ कंपनियों को तीन माह की अतिरिक्त अवधि अर्थात् 31.12.2020 तक का समय दिया जा सके। [सा.का.नि. 590(अ)]

(2) परिपत्र:-

(i) दिनांक 10.09.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 29/2020 के जरिए मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी के निदेशक मंडल को लागत लेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2020 तक प्रस्तुत की जाती है तब उसे कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(5) के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा। फलस्वरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कंपनी द्वारा लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-फॉर्म सीआरए-4 में फाइल किया जाएगा। तथापि, यदि कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक करने के लिए समय प्राप्त कर लिया है तब ई-फॉर्म सीआरए-4 को कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(6) के परंतुक के तहत दी गई समय-सीमा के भीतर फाइल किया जा सकता है।

(ii) 28.09.2020 के आम परिपत्र संख्या-30/2020 के जरिए और 30.03.2020 के आम परिपत्र संख्या-12/2020 के अनुक्रम में, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने पर अवरोध और वस्तु स्थिति की बेहतर जांच करने के बाद, मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2020 तक कंपनियों से संबंधित नयी स्टार्ट स्कीम 2020 को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। 30.03.2020 के परिपत्र में प्रस्तुत अन्य सभी आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

(iii) 28.09.2020 के आम परिपत्र संख्या-31/2020 के जरिए और 30.03.2020 के आम परिपत्र संख्या-13/2020 के अनुक्रम में, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने पर अवरोध और वस्तु स्थिति की बेहतर जांच करने के बाद, मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2020 तक एलएलपी निपटान स्कीम, 2020 को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। 30.03.2020 के परिपत्र में प्रस्तुत अन्य सभी आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

(iv) 28.09.2020 के आम परिपत्र संख्या-32/2020 के जरिए और 17.06.2020 के आम परिपत्र संख्या-32/2020 के अनुक्रम में, और वस्तु स्थिति की बेहतर जांच करने के बाद मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2020 तक "कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रभारों के सृजन अथवा संशोधन से संबंधित परिपत्रों को भरने के लिए समय में छूट देने से संबंधित स्कीम" को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, संख्या "30.09.2020" और "01.10.2020" जहाँ कहीं आम परिपत्र में दिखाई दे वहाँ उन्हें क्रमशः संख्या "31.12.2020" और "01.01.2021" के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 17.06.2020 के परिपत्र में दी गई अन्य आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

(v) 28.09.2020 के आम परिपत्र संख्या-33/2020 के जरिए और 08.04.2020 के आम परिपत्र संख्या-14/2020, 13.04.2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 और 15.06.2020 के परिपत्र संख्या 22/2020 के अनुक्रम में, और वस्तु स्थिति की बेहतर जांच करने के बाद मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2020 तक उपरोक्त परिपत्रों में दी गई रूप-रेखा के अनुसार पोस्टल बेल्ट वीसी अथवा ओवीएएम के माध्यम से अपने ईजीएम संचालित करने के प्रयोजनार्थ कंपनियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है। 08.04.2020, 13.04.2020 और 15.06.2020 के परिपत्रों में दी गई अन्य आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

(vi) 29.09.2020 के आम परिपत्र संख्या-34/2020 के जरिए और 24.03.2020 के आम परिपत्रों संख्या-11/2020 और 19.06.2020 के आम परिपत्र संख्या 24/2020 के अनुक्रम में तथा कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने पर अवरोध उत्पन्न होने के कारण विभिन्न हितधारकों की ओर से प्राप्त समय विस्तारण के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय ने 30.09.2020 से 31.12.2020 तक 24.06.2020 के परिपत्र के पैरे V, VI में उल्लिखित मामलों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(2)(ग) के तहत 20% जमा पुनर्भुगतान आरक्षित निधि के सृजन और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम, 18 के तहत डिबेंचर की 15% राशि निवेश अथवा जमा करने के संबंध में) के बारे में समय को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। 24.03.2020 और 19.06.2020 के परिपत्रों में प्रस्तुत अन्य सभी आवश्यकताएं अपरिवर्तित रहेंगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन :-

4 मार्च, 2020 को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में संशोधनों के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। इस बिल को 17 मार्च, 2020 को लोक सभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को 23 मार्च, 2020 को परिचर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था, तथापि, उस पर चर्चा नहीं की जा सकी और संदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

इसके बाद, संसद के पिछले सत्र में उक्त विधेयक 19 सितंबर, 2020 को लोक सभा द्वारा और 22 सितंबर, 2020 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसे 28.09.2020 को माननीय राष्ट्रपति जी की भी सहमति प्राप्त हो गई है। इसे उसी तारीख को राजपत्र में प्रकाशित करा दिया गया है। यह संशोधन अधिनियम कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. आदेशः-

17 सितंबर, 2020 को जारी आदेश के जरिए कंपनी विधि समिति (18 सितंबर, 2019 को स्थापित) की कार्य अवधि 17 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस समिति का गठन इसलिए किया गया है ताकि यह मंत्रालय से अपराधों के विअपराधीकरण, निपटान कार्यतंत्र को प्रारंभ, कार्य को निर्बाध रूप में निष्पादित करने संबंधित उपायों और कंपनी अधिनियम, 2013/एलएलपी अधिनियम, 2008 आदि के तहत स्थापित निकायों की क्रियाशीलता में रूकावटों को दूर करने के मामले में सिफारिश कर सके।

5. विचाराधीन महीने के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को ग्रीन चैनल के जरिए एक (01) सहित आठ (08) नये विश्वास रोधी मामले (प्रतिस्पर्धा करार रोध और विशेष पद का दुरूपयोग) और दस (10) नये संयुक्त नोटिस प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, सीसीआई ने सितंबर, 2020 में दो (02) विश्वास रोधी मामलो पर निर्णय लेने के साथ-साथ ग्यारह (11) मामलों को मंजूरी दी।

6. सीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लेवर और फ्रेगरेंस इंक. द्वारा डूपोंट डी नेमर्स के पोषक तत्व और जैव विज्ञान व्यवसाय के एक मात्र नियंत्रण को अधिग्रहित करने के संबंध में संयुक्त व्यवस्था को मंजूरी दी थी। चूंकि प्रस्तावित संयुक्त व्यवस्था के तहत वैश्विक आधार पर लेन-देन किया जाता है, इसलिए आयोग ने 2011 को दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित विश्वास रोधी सहयोग पर हुए समझौते ज्ञापन पर आधारित उन के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए रूसी परिसंघ वर्चस्व रोधी सेवा के साथ सहयोग किया।

7. सीसीआई ने मैसर्स पब्लिक हेल्थ फाउनडेंशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के सहयोग से "भारत के भेषज क्षेत्र से संबंधित बाजार अध्ययन" शुरू किया। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित प्रयोजनों के साथ तथ्यात्मक आधार को खोजना है अर्थात् (क) देश में भेषज वितरण बाजार से संबंधित प्रतिस्पर्धा परिदृश्य (ख) भारतीय बाजार में स्तरीय जैविक औषधों के ध्रुवीकरण की सीमा और प्रतिस्पर्धा पर उसके पड़ने वाले प्रभावों की हद को समझना (ग) भारत में जैव समकक्ष औषधों के प्रवेश में आने वाली रूकावटों को चिन्हित करना (घ) सीसीआई के लिए संबंधित प्रवर्तन और समर्थन वरीयताओं को सुनिश्चित करना और (ङ) संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के साथ सीसीआई द्वारा सहयोग के क्षेत्रों को चिन्हित करना।

8. (i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के स्थान पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 को लाने के साथ-साथ उसे 5 जून, 2020 से प्रभावी 23 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया है जिसके फलस्वरूप 6 माह की अवधि अथवा ऐसी ही आगे की अवधि जो 25 मार्च, 2020 से 1 वर्ष से अधिक न हो, के लिए संहिता की धारा 7,9 और 10 के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरूआत को अस्थायी रूप में लंबित रखने के प्रयोजनार्थ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) में धारा 10क को अंतःस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित निलंबन का लाभ कारपोरेट देनदारों की उन सभी चूकों के लिए उपलब्ध होगा जो 25.03.2020 और निलंबन की अवधि के अंत में हुई हैं। इसके आलावा 25 मार्च, 2020 के बीच और निलंबन अवधि के पूर्ण होने तक उत्पन्न होने तक ऐसी चूकें स्थायी कार्व आउट के रूप में इस संहिता के तहत सीआईआरपी प्रारंभ करने के प्रयोजनार्थ नॉन-ईस्ट रहेंगी। संहिता की धारा 66 को इस आशय के साथ भी संशोधित किया गया है ताकि ऐसी चूक के संबंध में कारपोरेट देनदार के भागीदारों अथवा निदेशकों के विरूद्ध कार्रवाई करने संबंधी आवेदन फाइल करने से समाधान पेशेवर को रोका जा सके।

ii) दिनांक 24.09.2020 के का.आ. संख्या 3265 के जरिए अधिसूचना को इस आशय के साथ अधिसूचित कर दिया गया है ताकि 3 महीने अर्थात् 24.12.2020 तक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 10क के तहत अस्थाई निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सके।

iii) दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायिक निर्णय करने संबंधी प्राधिकरण को आवेदन) (संशोधन) नियम, 2020 को 24.09.2020 को सा.का.नि. संख्या 583(अ) के जरिए इस आशय के साथ अधिसूचित किया गया है ताकि दिवाला और शोधन अक्षमता (न्यायिक निर्णय प्राधिकरण नियम, 2016 को आवेदन) में और संशोधन किया जा सके।